दिनांक 08.04.2024 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

भवन स्वामी सम्पत्तिकर एक मुश्त भुगतान कर छूट का लाभ उठाएं

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्थित भवन/भूमि स्वामियों को उनके स्वामित्व के भवन/भूमियों पर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु देय संपत्तिकर पर 1 अप्रेल 2024 से 31 मई 2024 तक एक मुश्त भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। जिसका भवन/भूमि स्वामी लाभ उठा सकते है। भवन मालिक अपने भवन का संपत्तिकर की स्थिति जानने के लिए हेल्पलाईन व व्हाट्सअप नम्बर 9153986401 पर जानकारी प्राप्त कर सकते है एवं मांग अनुसार 6.25 प्रतिशत की छूट के साथ आंनलाईन वेबसाईटhttps:/chhattishgarhmunicipal.com में अपने देय करो का भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते है।